न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

नम्बर 05 / 2018

दायर दिनांक–03.01.2018

1. बनवारीलाल पुत्र धनाराम
2. सुरजाराम पुत्र धनाराम
3. श्यामसुन्दर उर्फ श्यामलाल पुत्र धनाराम
4. महावीर पुत्र धनाराम

–वादीगण

1. कमला कंवर पत्नी बजरंग सिंह
2. मीना कंवर पुत्री बजरंग सिंह
3. दलिप सिंह पुत्र रामसिंह
4. दातार सिंह पुत्र रामसिंह
5. राम कंवर पत्नि रामसिंह
6. झाबर सिंह पुत्र कल्याण सिंह
7. चैन सिंह पुत्र जोरावर सिंह
8. रणजीत सिंह पुत्र जोरावर सिंह
9. बिमला कंवर पुत्री जोरावर सिंह
10. पुष्पा कंवर पुत्री जोरावर सिंह
11. गोमा कंवर पुत्री जोरावर सिंह
12. उम्मेद कंवर पत्नी भोपाल सिंह
13. बड़ोदा राज0 क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा झाझड़ जरिये शाखा प्रबंधक।
14. एस0 बी0बी0 जे0 बैंक शाखा बसावा जरिये शाखा प्रबंधक।
15. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
16. राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – **श्री अशोक कुमार जांगिड़**
वकील प्रतिवादी :– **एकपक्षीय**

<u>दावा बाबत : दुरूस्ती रिकॉर्ड व विभाजन।</u>

–:: <u>निर्णय</u> ::–

दिनांक–16.06.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1361 रकबा 1.31 है0 तथा खसरा नम्बर 1363 रकबा 2.22 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.53 है0 भूमि में संलग्न नजरी नक्शा में दर्ज C, D, E बिन्दुओं तक रास्ता की 0.0742 है0 भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 16 को घोषित किया जावे तथा शेष 3.4558 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार पूर्व की तरह प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 को घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रैस में दुरूस्ती के आदेश प्रतिवादी सं0 15 तहसीलदार, नवलगढ को दिया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजव[illegible] न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण [illegible]नकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु श्यामसुन्दर उर्फ श्यामलाल का [illegible] पेश किया।। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी सम्वत 2067–70, प्रदर्श 2 नकल जमाबंदी सम्वत 2067–70, प्रदर्श 3 नकल नक्शा ट्रैस प्रदर्श 4 नकल जमाबंदी स[illegible] 2067–70 प्रदर्श 05, 06, 07, 08 व 09 फोटोग्राफस् आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् तथा तहसीलदार नवलगढ़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट से भूमि खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:53:40 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

361 व 1361 में वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें में दर्शाये गये रास्ते बिन्दु C, D, E की पुष्टि की है तथा उक्त रास्ते को काफी वर्षो से वादीगण व प्रतिवादीगण आवागमन हेतु उपयोग में लेना बताया गया है। अतः वादीगण द्वारा पेश साक्ष्यों व तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट से वाद वादी साबित होता है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1361 रकबा 1.31 है0 तथा खसरा नम्बर 1363 रकबा 2.22 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.53 है0 भूमि में वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में दर्ज C, D, E बिन्दुओं तक रास्ता की 0.0742 है0 भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 16 को घोषित किया जाता है तथा शेष 3.4558 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार पूर्व में दर्ज जमाबंदी अनुसार यथावत रखा जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 16.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:53:40 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

दावा बाबत : इश्तकरार हक व दुरूस्ती रिकॉर्ड

मुकदमा संः– 05/2018 (**बनवारीलाल बनाम कमला कंवर आदि**)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुददई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 16.06.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1361 रकबा 1.31 है0 तथा खसरा नम्बर 1363 रकबा 2.22 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.53 है0 भूमि में वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में दर्ज C, D, E बिन्दुओं तक रास्ता की 0.0742 है0 भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 16 को घोषित किया जाता है तथा शेष 3.4558 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार पूर्व में दर्ज जमाबंदी अनुसार यथावत रखा जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 16.06.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुददई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:53:40 IST
Reason: SelfAttested